S.T- 18/23

24.7.26 सभी चार अभियुक्तगण ① पिंटू कुमार ② महेन्द्र जमादार ③ सावित्री देवी ④ मुनकी देवी की हाजिरी है। वाद पुकार पर चारों अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस कांड की प्राथमिकी धारा 366(A)/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप का गठन दिनांक 15.5.2025 को भा०द०वि० की धारा 363/34, 366(A)/34 के अन्तर्गत किया गया। अभियोजन कोषांग के माध्यम से दिनांक 21.7.25 को गवाहों की उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया। पुनः दिनांक 17.10.25 को अभियोजन कोषांग के माध्यम से गवाहों की उपस्थिति हेतु नोटिस का स्मार पत्र निर्गत किया गया तत्पश्चात दिनांक 19.1.26 को DP.No-32 के माध्यम से अभियोजन साक्षियों पर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया था जिसमें साक्षी लीला देवी का तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। दिनांक 21.4.26 के आदेश फलक अवलोकन से यह विदित होता है कि एक साक्षी रामाशीष सिंह की ~~सक्की~~ मृत्यु हो चुकी है जिसके संबंध में उनकी पत्नी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल कर वारंट रिकॉल की प्रार्थना की गई थी। दिनांक 19.5.26 को

(क्रमशः)

S.T.-18/23

24.7.26 (लगातार) DP.No.-175 के माध्यम से सभी अभियोजन साक्षियों के विरुद्ध आज्ञापत्र अधिपत्र भी निर्गत किया गया परन्तु उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं के बावजूद तक भी अभियोजन साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अभियोजन को साक्षी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया फिर भी कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख के साथ संलग्न पीड़िता के बयान धारा 164 दं०प्र०सं० के अवलोकन से विदित होता है कि पीड़िता अपने अपहरण की बात से इन्कार करती है तथा अपनी मर्जी से अभि० जितेन्द्र के साथ जाने की बात कथित की गई है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर दिया गया परन्तु उनकी ओर से तब भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियुक्तगण ① सिंटू कुमार ② महेन्द्र जमादार ③ लक्ष्मी देवी ④ मुन्नी देवी को साक्ष्य के अभाव में धारा 232 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत रिहा किया जाता है। अभियुक्तगण एवं उनके प्रतिभुओं को बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख, नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लिखवाया
Deepak Kr Yadav
A/S.J-III